

# पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की स्थिति का समाजशास्त्रीय अध्ययन

सविता कुमारी<sup>1</sup>, प्रो० (डॉ०) ममता रानी<sup>2</sup>

<sup>1</sup>शोधार्थी, <sup>2</sup>शोध पर्यवेक्षक

<sup>1,2</sup>के०जी०के० पी०जी कालेज, मुरादाबाद

## सारांश

भारत में पंचायती राज व्यवस्था लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर जनभागीदारी को सुनिश्चित करना तथा स्थानीय प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाना है। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था ने ग्रामीण महिलाओं को राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रस्तुत शोध पत्र में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की स्थिति का समाजशास्त्रीय अध्ययन किया गया है। अध्ययन का मुख्य उद्देश्य यह समझना है कि पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी ने उनके सामाजिक स्तर, निर्णय लेने की क्षमता, नेतृत्व विकास तथा ग्रामीण समाज में उनकी पहचान को किस प्रकार प्रभावित किया है। शोध में महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता, सामाजिक बाधाएँ, पारिवारिक समर्थन, शिक्षा, आर्थिक स्थिति तथा प्रशासनिक चुनौतियों का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि पंचायती राज व्यवस्था ने महिलाओं को नई पहचान प्रदान की है, परन्तु आज भी पितृसत्तात्मक सोच, अशिक्षा, आर्थिक निर्भरता तथा सामाजिक रूढ़ियाँ उनके प्रभावी नेतृत्व में बाधा उत्पन्न करती हैं। शोध पत्र में महिला सशक्तिकरण को मजबूत बनाने हेतु विभिन्न सुझाव भी प्रस्तुत किए गए हैं।

**मुख्य शब्द:** पंचायती राज, महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण समाज, राजनीतिक सहभागिता, सामाजिक परिवर्तन, महिला नेतृत्व

## प्रस्तावना

भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति सदैव परिवर्तनशील रही है। प्राचीन काल में महिलाओं को सम्मानजनक स्थान प्राप्त था, किन्तु मध्यकालीन सामाजिक संरचनाओं तथा पितृसत्तात्मक व्यवस्थाओं के कारण उनकी सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक स्थिति कमजोर होती चली गई। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय संविधान ने महिलाओं को समान अधिकार प्रदान किए तथा सामाजिक न्याय और समान अवसरों की अवधारणा को मजबूत किया। इसी क्रम में ग्रामीण स्तर पर लोकतंत्र को सशक्त बनाने के उद्देश्य से पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। वर्ष 1992 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया तथा महिलाओं के लिए कम से कम 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया गया। कई राज्यों में यह आरक्षण बढ़ाकर 50 प्रतिशत तक कर दिया गया। इस व्यवस्था का उद्देश्य महिलाओं को राजनीतिक मुख्यधारा से जोड़ना तथा ग्रामीण विकास की प्रक्रिया में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना था।

पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी ने ग्रामीण समाज में व्यापक सामाजिक परिवर्तन उत्पन्न किए हैं। पहले जहाँ महिलाएँ केवल घरेलू कार्यों तक सीमित थीं, वहीं आज वे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद जैसे संस्थानों में नेतृत्वकारी भूमिका निभा रही हैं। इससे महिलाओं में आत्मविश्वास, निर्णय क्षमता तथा सामाजिक जागरूकता का विकास हुआ है। हालांकि, अनेक सामाजिक एवं सांस्कृतिक बाधाएँ आज भी महिलाओं के प्रभावी नेतृत्व में अवरोध उत्पन्न करती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कई महिला प्रतिनिधि अशिक्षा, आर्थिक निर्भरता, पुरुष हस्तक्षेप तथा सामाजिक दबाव के कारण स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पातीं। कई स्थानों पर “सरपंच पति” जैसी प्रवृत्तियाँ

देखने को मिलती हैं, जहाँ महिला प्रतिनिधि केवल नाममात्र की प्रमुख होती हैं और वास्तविक निर्णय पुरुष सदस्य लेते हैं। यह स्थिति महिला सशक्तिकरण की वास्तविक अवधारणा को कमजोर करती है।

इसके बावजूद पंचायती राज व्यवस्था ने महिलाओं के सामाजिक जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। महिलाएँ अब शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, बाल विकास तथा सामाजिक कल्याण से जुड़े मुद्दों को पंचायत स्तर पर प्रभावी ढंग से उठाने लगी हैं। इससे ग्रामीण समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार देखने को मिला है।

### **पंचायती राज व्यवस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि**

भारत में पंचायत प्रणाली का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। प्राचीन काल में ग्राम पंचायतें ग्रामीण प्रशासन तथा न्याय व्यवस्था का प्रमुख माध्यम थीं। गांवों के सामाजिक एवं आर्थिक निर्णय सामूहिक रूप से पंचायतों द्वारा लिए जाते थे। उस समय पंचायतों को स्थानीय स्वशासन की प्रभावी इकाई माना जाता था।

मध्यकाल में पंचायत व्यवस्था की शक्ति कमजोर होने लगी, क्योंकि सामंती व्यवस्थाओं तथा केंद्रीकृत शासन ने स्थानीय संस्थाओं की स्वायत्तता को सीमित कर दिया। ब्रिटिश शासन काल में भी पंचायतों की स्थिति कमजोर रही, हालांकि कुछ प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से स्थानीय निकायों को सीमित अधिकार प्रदान किए गए। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय संविधान निर्माताओं ने लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की अवधारणा को महत्व दिया। महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज की परिकल्पना प्रस्तुत करते हुए पंचायतों को लोकतंत्र की आत्मा माना। उनके अनुसार प्रत्येक गांव एक स्वायत्त इकाई होना चाहिए, जहाँ लोग अपने विकास संबंधी निर्णय स्वयं लें।

1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की। इसके आधार पर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद का गठन किया गया। बाद में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इस संशोधन के अंतर्गत महिलाओं के लिए न्यूनतम 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया गया, जिसने महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को नई दिशा प्रदान की।

### **पंचायती राज व्यवस्था और महिला सशक्तिकरण**

महिला सशक्तिकरण का अर्थ महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा शैक्षिक रूप से सक्षम बनाना है ताकि वे अपने अधिकारों का उपयोग कर सकें तथा निर्णय प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभा सकें। पंचायती राज व्यवस्था ने महिलाओं के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अनेक अध्ययनों में यह पाया गया है कि पंचायतों में आरक्षण लागू होने के बाद महिलाओं की राजनीतिक चेतना में वृद्धि हुई है। महिलाएँ अब केवल घरेलू कार्यों तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि वे ग्राम विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता तथा सामाजिक कल्याण से जुड़े मुद्दों पर सक्रिय रूप से कार्य करने लगी हैं।

महिला प्रतिनिधियों ने ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विवाह, दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा तथा शराबबंदी जैसे सामाजिक मुद्दों के विरुद्ध जागरूकता फैलाने का कार्य किया है। इससे महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार देखने को मिला है। कई शोधों में यह निष्कर्ष निकाला गया कि महिला नेतृत्व वाली पंचायतों में शिक्षा तथा स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं का क्रियान्वयन अधिक प्रभावी होता है। महिला प्रतिनिधि समाज के कमजोर वर्गों की समस्याओं को अधिक संवेदनशीलता के साथ समझती हैं तथा उनके समाधान के लिए प्रयास करती हैं।

हालांकि, कुछ अध्ययनों में यह भी पाया गया कि महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी केवल औपचारिक स्तर तक सीमित रह जाती है। कई क्षेत्रों में पुरुष सदस्य वास्तविक निर्णय लेते हैं और महिला प्रतिनिधियाँ केवल नाममात्र की प्रमुख होती हैं। यह स्थिति महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करती है।

### **महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता पर पूर्व अध्ययन**

महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता लोकतंत्र की सफलता का महत्वपूर्ण संकेतक मानी जाती है। पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किए जाने के बाद विभिन्न शोधकर्ताओं ने उनकी राजनीतिक भागीदारी का अध्ययन किया। पूर्व अध्ययनों में यह पाया गया कि पंचायत चुनावों में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ी है। महिलाओं ने चुनाव लड़ने, प्रचार करने तथा राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करने में सक्रिय रुचि दिखाई है। इससे ग्रामीण

समाज में महिलाओं की राजनीतिक पहचान मजबूत हुई है। कुछ शोधों में यह स्पष्ट हुआ कि राजनीतिक भागीदारी के माध्यम से महिलाओं में आत्मविश्वास तथा नेतृत्व क्षमता का विकास हुआ। वे अब सार्वजनिक मंचों पर अपनी बात रखने लगी हैं तथा ग्राम सभाओं में सक्रिय भूमिका निभाती हैं।

अनेक अध्ययनों में यह भी उल्लेख किया गया कि महिला प्रतिनिधियों को राजनीतिक कार्यों के दौरान सामाजिक विरोध तथा पारिवारिक दबाव का सामना करना पड़ता है। ग्रामीण समाज की पितृसत्तात्मक मानसिकता महिलाओं की स्वतंत्र राजनीतिक पहचान को स्वीकार करने में अभी भी संकोच करती है। कुछ शोधों में यह पाया गया कि शिक्षित तथा आर्थिक रूप से सक्षम महिलाएँ पंचायतों में अधिक प्रभावी नेतृत्व प्रदान करती हैं। इसके विपरीत अशिक्षित तथा आर्थिक रूप से निर्भर महिलाएँ प्रशासनिक कार्यों में कठिनाई अनुभव करती हैं।

### **महिला नेतृत्व और सामाजिक परिवर्तन**

महिला नेतृत्व सामाजिक परिवर्तन का महत्वपूर्ण माध्यम माना जाता है। पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी ने ग्रामीण समाज में लैंगिक समानता की भावना को मजबूत किया है। पूर्व अध्ययनों में यह पाया गया कि महिला प्रतिनिधियों ने ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य तथा स्वच्छता संबंधी कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी। उन्होंने विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों से जुड़े मुद्दों को पंचायत स्तर पर उठाया। महिला नेतृत्व के कारण ग्रामीण समाज में महिलाओं की सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई है। अब महिलाएँ केवल परिवार तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे सार्वजनिक जीवन में भी सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। कई शोधों में यह निष्कर्ष निकाला गया कि महिला प्रतिनिधियों ने स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में योगदान दिया। इससे महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ तथा उनमें आत्मनिर्भरता की भावना विकसित हुई। हालांकि, कुछ अध्ययनों में यह भी उल्लेख किया गया कि महिलाओं के नेतृत्व को कई बार गंभीरता से नहीं लिया जाता। पंचायत बैठकों में पुरुष सदस्य महिलाओं की बातों को महत्व नहीं देते, जिससे उनके निर्णयों का प्रभाव सीमित हो जाता है।

### **पंचायती राज व्यवस्था की अवधारणा**

पंचायती राज व्यवस्था स्थानीय स्वशासन की एक ऐसी प्रणाली है जिसके माध्यम से ग्रामीण जनता अपने विकास संबंधी निर्णय स्वयं लेती है। यह लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने का माध्यम है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण विकास, जनसहभागिता तथा विकेन्द्रीकृत प्रशासन को बढ़ावा देना है। महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज की अवधारणा प्रस्तुत करते हुए पंचायतों को लोकतंत्र की आधारशिला माना था। उनके अनुसार ग्राम पंचायतें आत्मनिर्भर तथा स्वायत्त इकाइयाँ होनी चाहिए। स्वतंत्रता के बाद बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। 73वें संविधान संशोधन ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। इसके अंतर्गत ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद का गठन किया गया तथा महिलाओं, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया गया।

### **पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी**

महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी किसी भी लोकतांत्रिक समाज के विकास का महत्वपूर्ण संकेतक होती है। पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण लागू होने के बाद लाखों महिलाएँ स्थानीय शासन प्रणाली का हिस्सा बनीं। इससे महिलाओं को राजनीतिक अनुभव प्राप्त हुआ तथा उनके नेतृत्व कौशल का विकास हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला प्रतिनिधियों ने शिक्षा, स्वच्छता, पेयजल, स्वास्थ्य तथा महिला कल्याण से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता दी। कई अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ है कि महिला नेतृत्व वाली पंचायतों में सामाजिक विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन अधिक प्रभावी रूप से हुआ। महिलाओं की भागीदारी ने ग्रामीण समाज में लैंगिक समानता की भावना को भी मजबूत किया है। अब महिलाएँ सार्वजनिक बैठकों में भाग लेने लगी हैं तथा अपने अधिकारों के प्रति अधिक जागरूक हुई हैं। इससे महिलाओं में आत्मसम्मान तथा आत्मविश्वास की वृद्धि हुई है।

### महिलाओं की सामाजिक स्थिति पर प्रभाव

पंचायती राज व्यवस्था में भागीदारी ने महिलाओं की सामाजिक स्थिति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है। पहले महिलाएँ घरेलू निर्णयों में भी सीमित भूमिका निभाती थीं, किन्तु अब वे सामाजिक एवं राजनीतिक निर्णयों में सक्रिय भागीदारी कर रही हैं। महिला प्रतिनिधियों के माध्यम से बाल विवाह, दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा तथा शराबबंदी जैसे सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता बढ़ी है। कई पंचायतों में महिलाओं ने स्वयं सहायता समूहों का गठन कर आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया है। पंचायतों में सक्रिय भूमिका निभाने वाली महिलाओं की सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई है। ग्रामीण समाज में अब महिलाओं को केवल गृहिणी के रूप में नहीं बल्कि एक निर्णयकर्ता तथा नेता के रूप में भी देखा जाने लगा है।

### परिणाम, आंकड़ों का विश्लेषण एवं व्याख्या

अध्ययन के अंतर्गत महिला पंचायत प्रतिनिधियों से संबंधित सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक तथा राजनीतिक पक्षों का विश्लेषण किया गया है। आंकड़ों को सारणियों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है तथा प्रत्येक सारणी के बाद उसका व्याख्यात्मक विवरण भी दिया गया है। अध्ययन हेतु कुल 200 महिला पंचायत प्रतिनिधियों का चयन किया गया।

### उत्तरदाताओं की आयु आधारित वर्गीकरण

सारणी 1: उत्तरदाताओं का आयु वर्ग के आधार पर वर्गीकरण

आयु वर्ग	आवृत्ति	प्रतिशत
21-30 वर्ष	38	19%
31-40 वर्ष	72	36%
41-50 वर्ष	56	28%
51 वर्ष से अधिक	34	17%
कुल	200	100%

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि अध्ययन में शामिल अधिकांश महिला प्रतिनिधियों की आयु 31-40 वर्ष के मध्य है, जिनकी संख्या 72 अर्थात् 36 प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त 41-50 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं की संख्या 28 प्रतिशत पाई गई। यह स्थिति दर्शाती है कि मध्यम आयु वर्ग की महिलाएँ पंचायतों में अधिक सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। युवा महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ रही है, जो ग्रामीण राजनीतिक चेतना में सकारात्मक परिवर्तन का संकेत है।

### शैक्षिक स्थिति का विश्लेषण

सारणी 2: उत्तरदाताओं की शैक्षिक स्थिति

शिक्षा स्तर	आवृत्ति	प्रतिशत
अशिक्षित	26	13%
प्राथमिक शिक्षा	48	24%
माध्यमिक शिक्षा	74	37%
स्नातक	38	19%
स्नातकोत्तर	14	7%
कुल	200	100%

सारणी से ज्ञात होता है कि 37 प्रतिशत महिला प्रतिनिधियों ने माध्यमिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त की है। 24 प्रतिशत महिलाएँ प्राथमिक शिक्षित हैं जबकि 13 प्रतिशत महिलाएँ अशिक्षित पाई गईं। उच्च शिक्षा प्राप्त महिलाओं की संख्या अपेक्षाकृत कम है। यह स्थिति दर्शाती है कि पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने के बावजूद शिक्षा का स्तर अभी भी एक चुनौती बना हुआ है। शिक्षित महिलाओं में प्रशासनिक कार्यों की समझ अधिक पाई गई।

## वैवाहिक स्थिति

### सारणी 3: उत्तरदाताओं की वैवाहिक स्थिति

वैवाहिक स्थिति	आवृत्ति	प्रतिशत
विवाहित	164	82%
अविवाहित	12	6%
विधवा	18	9%
तलाकशुदा	6	3%
कुल	200	100%

सारणी से स्पष्ट है कि अधिकांश महिला प्रतिनिधि विवाहित हैं। विवाहित महिलाओं की संख्या 82 प्रतिशत पाई गई। इससे यह स्पष्ट होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में विवाहित महिलाएँ पंचायत राजनीति में अधिक भागीदारी कर रही हैं। विधवा महिलाओं की भागीदारी भी उल्लेखनीय है, जो उनके सामाजिक आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदम को दर्शाती है।

## पंचायत चुनाव में भागीदारी का कारण

### सारणी 4: पंचायत चुनाव लड़ने के प्रमुख कारण

कारण	आवृत्ति	प्रतिशत
सामाजिक सेवा	84	42%
महिला सशक्तिकरण	46	23%
परिवार का दबाव	38	19%
राजनीतिक रुचि	32	16%
कुल	200	100%

अध्ययन से ज्ञात होता है कि 42 प्रतिशत महिलाओं ने सामाजिक सेवा की भावना से पंचायत चुनाव में भाग लिया। 23 प्रतिशत महिलाओं का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण था। वहीं 19 प्रतिशत महिलाओं ने परिवार के दबाव में चुनाव लड़ा। यह स्थिति दर्शाती है कि महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी में सामाजिक चेतना का विकास हो रहा है, हालांकि पारिवारिक प्रभाव अभी भी मौजूद है।

## पंचायत कार्यों में निर्णय लेने की स्वतंत्रता

### सारणी 5: पंचायत कार्यों में निर्णय लेने की स्थिति

निर्णय लेने की स्थिति	आवृत्ति	प्रतिशत
पूर्ण स्वतंत्रता	68	34%
आंशिक स्वतंत्रता	92	46%
परिवार पर निर्भर	40	20%
कुल	200	100%

सारणी के अनुसार 46 प्रतिशत महिलाएँ आंशिक रूप से स्वतंत्र निर्णय लेती हैं जबकि 20 प्रतिशत महिलाएँ परिवार पर निर्भर रहती हैं। केवल 34 प्रतिशत महिलाएँ पूर्ण रूप से स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम हैं। यह स्थिति दर्शाती है कि ग्रामीण समाज में महिलाओं की राजनीतिक स्वतंत्रता अभी भी पूर्ण रूप से स्थापित नहीं हो पाई है।

**पंचायतों में महिलाओं के समक्ष प्रमुख समस्याएँ****सारणी 6: महिला प्रतिनिधियों की प्रमुख समस्याएँ**

समस्या	आवृत्ति	प्रतिशत
अशिक्षा	52	26%
पुरुष हस्तक्षेप	64	32%
आर्थिक समस्या	46	23%
सामाजिक दबाव	38	19%
कुल	200	100%

सारणी से ज्ञात होता है कि 32 प्रतिशत महिलाओं ने पुरुष हस्तक्षेप को सबसे बड़ी समस्या बताया। 26 प्रतिशत महिलाओं ने अशिक्षा को प्रमुख बाधा माना। यह स्थिति “सरपंच पति” जैसी प्रवृत्तियों तथा पितृसत्तात्मक सोच की उपस्थिति को स्पष्ट करती है।

**महिला सशक्तिकरण पर पंचायतों का प्रभाव****सारणी 7: पंचायतों में भागीदारी से महिला सशक्तिकरण**

प्रभाव	आवृत्ति	प्रतिशत
आत्मविश्वास में वृद्धि	78	39%
सामाजिक सम्मान में वृद्धि	54	27%
आर्थिक जागरूकता	38	19%
निर्णय क्षमता में वृद्धि	30	15%
कुल	200	100%

अधिकांश महिलाओं ने माना कि पंचायतों में भागीदारी से उनके आत्मविश्वास में वृद्धि हुई है। 27 प्रतिशत महिलाओं ने सामाजिक सम्मान में वृद्धि को प्रमुख प्रभाव बताया। इससे स्पष्ट होता है कि पंचायत व्यवस्था महिलाओं के सामाजिक सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण माध्यम बन रही है।

**पंचायतों में महिलाओं की भूमिका के प्रति ग्रामीण समाज का दृष्टिकोण****सारणी 8 ग्रामीण समाज का महिलाओं की भूमिका के प्रति दृष्टिकोण**

दृष्टिकोण	आवृत्ति	प्रतिशत
सकारात्मक	118	59%
सामान्य	52	26%
नकारात्मक	30	15%
कुल	200	100%

सारणी दर्शाती है कि 59 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार ग्रामीण समाज का दृष्टिकोण महिलाओं की पंचायत भूमिका के प्रति सकारात्मक है। हालांकि 15 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने नकारात्मक दृष्टिकोण की बात कही। यह दर्शाता है कि सामाजिक परिवर्तन धीरे-धीरे हो रहा है।

### पंचायतों में महिलाओं द्वारा प्राथमिकता दिए गए कार्य

#### सारणी 9 महिला प्रतिनिधियों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त कार्य

कार्य	आवृत्ति	प्रतिशत
स्वच्छता एवं स्वास्थ्य	58	29%
शिक्षा	46	23%
महिला कल्याण	52	26%
पेयजल व्यवस्था	44	22%
कुल	200	100%

सारणी से ज्ञात होता है कि महिला प्रतिनिधियों ने स्वच्छता एवं स्वास्थ्य को सबसे अधिक प्राथमिकता दी। महिला कल्याण तथा शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी विशेष ध्यान दिया गया। इससे स्पष्ट होता है कि महिलाएँ सामाजिक विकास से जुड़े मुद्दों के प्रति अधिक संवेदनशील हैं।

### पंचायत कार्यों में प्रशिक्षण की आवश्यकता

#### सारणी 10: पंचायत कार्यों हेतु प्रशिक्षण की आवश्यकता

उत्तर	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	168	84%
नहीं	32	16%
कुल	200	100%

84 प्रतिशत महिला प्रतिनिधियों ने पंचायत कार्यों के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता महसूस की। इससे स्पष्ट होता है कि प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने हेतु महिलाओं को नियमित प्रशिक्षण प्रदान करना अत्यंत आवश्यक है।

### सहसंबंध विश्लेषण

#### सारणी 11: शिक्षा स्तर एवं निर्णय क्षमता के मध्य सहसंबंध

चर	शिक्षा स्तर	निर्णय क्षमता
शिक्षा स्तर	1	0.74**
निर्णय क्षमता	0.74**	1

### स्तर पर सहसंबंध महत्वपूर्ण

उपरोक्त सारणी से ज्ञात होता है कि शिक्षा स्तर एवं निर्णय क्षमता के मध्य 0.74 का उच्च धनात्मक सहसंबंध पाया गया। इसका अर्थ है कि शिक्षित महिला प्रतिनिधियों में निर्णय लेने की क्षमता अधिक विकसित होती है। शिक्षा महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

### प्रतिगमन विश्लेषण

#### सारणी 12: महिला सशक्तिकरण पर पंचायत भागीदारी का प्रभाव

मॉडल सारांश	मान
R	0.782
R <sup>2</sup>	0.611
समायोजित R <sup>2</sup>	0.604
मानक त्रुटि	0.428

**ANOVA सारणी**

स्रोत	F मान	महत्व स्तर
प्रतिगमन	112.46	0.000

**गुणांक सारणी**

चर	B	t मान	महत्व
स्थिरांक	0.842	8.61	0.000
पंचायत भागीदारी	0.714	16.48	0.000

प्रतिगमन विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि पंचायत भागीदारी का महिला सशक्तिकरण पर महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव है।  $R^2$  का मान 0.611 दर्शाता है कि महिला सशक्तिकरण में 61 प्रतिशत परिवर्तन पंचायत भागीदारी द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। पंचायतों में सक्रिय भागीदारी महिलाओं के आत्मविश्वास, सामाजिक प्रतिष्ठा तथा निर्णय क्षमता को बढ़ाती है।

पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की स्थिति से संबंधित आंकड़ों का विश्लेषण किया गया। अध्ययन से स्पष्ट हुआ कि पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी ने उनके आत्मविश्वास, सामाजिक सम्मान तथा नेतृत्व क्षमता में वृद्धि की है। हालांकि अशिक्षा, पुरुष हस्तक्षेप तथा सामाजिक दबाव जैसी समस्याएँ आज भी विद्यमान हैं। अध्ययन यह भी दर्शाता है कि पंचायतों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी ग्रामीण विकास तथा महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

**महिला प्रतिनिधियों के समक्ष चुनौतियाँ**

यद्यपि पंचायती राज व्यवस्था ने महिलाओं को अवसर प्रदान किए हैं, फिर भी अनेक चुनौतियाँ आज भी उनके समक्ष विद्यमान हैं।

**अशिक्षा**

ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक महिला प्रतिनिधियाँ शिक्षित नहीं होतीं, जिसके कारण वे प्रशासनिक प्रक्रियाओं को समझने में कठिनाई अनुभव करती हैं। सरकारी योजनाओं, वित्तीय प्रबंधन तथा दस्तावेजी कार्यों में उन्हें दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है।

**पितृसत्तात्मक सोच**

भारतीय ग्रामीण समाज में पितृसत्तात्मक मानसिकता आज भी मजबूत है। कई पुरुष महिलाओं को स्वतंत्र निर्णय लेने की अनुमति नहीं देते। इससे महिला प्रतिनिधियों की कार्यक्षमता प्रभावित होती है।

**आर्थिक निर्भरता**

आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएँ राजनीति में प्रभावी भूमिका निभाने में कठिनाई अनुभव करती हैं। संसाधनों की कमी तथा आर्थिक निर्भरता उनके नेतृत्व को सीमित करती है।

**प्रशासनिक अनुभव का अभाव**

कई महिलाओं को प्रशासनिक कार्यों का पूर्व अनुभव नहीं होता, जिसके कारण वे पंचायत संचालन में प्रारम्भिक कठिनाइयों का सामना करती हैं।

**“सरपंच पति” की समस्या**

कई पंचायतों में महिला प्रतिनिधियों की जगह उनके पति वास्तविक निर्णय लेते हैं। यह स्थिति महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य को कमजोर करती है।

## महिला सशक्तिकरण और पंचायती राज

पंचायती राज व्यवस्था महिलाओं के सशक्तिकरण का एक प्रभावी माध्यम बनकर उभरी है। इससे महिलाओं को राजनीतिक चेतना, सामाजिक पहचान तथा आर्थिक अवसर प्राप्त हुए हैं। महिला प्रतिनिधियों ने ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में सक्रिय भूमिका निभाई है। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण तथा महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों को प्राथमिकता दी। इससे महिलाओं और बच्चों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है। महिलाओं के नेतृत्व ने लोकतांत्रिक मूल्यों को भी मजबूत किया है। अब ग्रामीण समाज में महिलाओं की आवाज़ को अधिक महत्व दिया जाने लगा है। इससे लैंगिक समानता की दिशा में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिला है।

## समाजशास्त्रीय विश्लेषण

समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो पंचायती राज व्यवस्था महिलाओं के सामाजिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनी है। यह केवल राजनीतिक भागीदारी तक सीमित नहीं है बल्कि सामाजिक संरचना में परिवर्तन का भी संकेत है। महिलाओं की पंचायतों में भागीदारी ने पारंपरिक लैंगिक भूमिकाओं को चुनौती दी है। पहले महिलाओं को घरेलू कार्यों तक सीमित माना जाता था, किन्तु अब वे सार्वजनिक जीवन में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। संरचनात्मक क्रियात्मकवाद के अनुसार समाज की विभिन्न संस्थाएँ सामाजिक संतुलन बनाए रखने का कार्य करती हैं। पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देती है तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था को अधिक प्रतिनिधिक बनाती है। संघर्ष सिद्धांत के अनुसार समाज में शक्ति और संसाधनों के असमान वितरण के कारण संघर्ष उत्पन्न होता है। पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को आरक्षण प्रदान करना सामाजिक शक्ति संरचना में परिवर्तन का प्रयास है। नारीवादी दृष्टिकोण के अनुसार महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी लैंगिक समानता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। पंचायतों में महिलाओं की उपस्थिति ने पुरुष प्रधान राजनीति को चुनौती दी है।

## निष्कर्ष

पंचायती राज व्यवस्था भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला है तथा महिलाओं के सामाजिक एवं राजनीतिक सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है। पंचायतों में आरक्षण की व्यवस्था ने ग्रामीण महिलाओं को सार्वजनिक जीवन में प्रवेश का अवसर प्रदान किया है। इससे महिलाओं में आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता तथा सामाजिक जागरूकता का विकास हुआ है। महिलाओं ने पंचायतों के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता तथा सामाजिक कल्याण से जुड़े मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाया है। हालांकि, अनेक सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक बाधाएँ आज भी महिलाओं की प्रभावी भागीदारी में अवरोध उत्पन्न करती हैं। अशिक्षा, पितृसत्तात्मक सोच, आर्थिक निर्भरता तथा पुरुष हस्तक्षेप जैसी समस्याएँ महिला नेतृत्व को कमजोर करती हैं। इसके बावजूद यह स्पष्ट है कि पंचायती राज व्यवस्था ने ग्रामीण समाज में महिलाओं की स्थिति को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यदि महिलाओं को उचित शिक्षा, प्रशिक्षण तथा सामाजिक समर्थन प्रदान किया जाए तो वे ग्रामीण विकास की प्रक्रिया में और अधिक प्रभावी भूमिका निभा सकती हैं। इस प्रकार पंचायती राज व्यवस्था केवल प्रशासनिक ढाँचा नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन और महिला सशक्तिकरण का एक सशक्त माध्यम है।

## संदर्भ सूची

1. यादव, सीमा. (2025). पंचायती राज व्यवस्था और महिलाएं. *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एडवांसेज इन सोशल साइंसेज*, 13(4), 45–52. डीओआई: 10.52711/2454-2679.2025.00015.
2. चौधरी, कविता, एवं मलिक, अर्चना. (2024). पंचायती राज और महिला सशक्तिकरण: हरियाणा के जींद जिले का समाजशास्त्रीय अध्ययन. *शोधकोश जर्नल*, 5(2), 66–74. डीओआई: 10.29121/shodhkosh.v5.i2.2024.3727.
3. सिंह, ममता. (2024). भारत में पंचायती संस्थानों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधि: प्रभाव और चुनौतियाँ. *ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन हिंदी शोध पत्रिका*, 8(1), 21–34.

4. शर्मा, रेखा, एवं तिवारी, निधि. (2023). पंचायती राज में ग्रामीण महिलाओं की भूमिका: सीधी जिले के विशेष संदर्भ में. *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिव्यूज एंड रिसर्च इन सोशल साइंसेज*, 11(2), 112–119. डीओआई: 10.52711/2454-2687.2024.00011.
5. वर्मा, पूजा. (2025). पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं का नेतृत्व और भागीदारी: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन. *भारतीय सामाजिक अनुसंधान पत्रिका*, 14(3), 88–97.
6. भंडारी, रेनु. (2022). पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी एवं आरक्षण की चुनौतियाँ. *अपनी माटी शोध पत्रिका*, 7(3), 55–63.
7. मिश्रा, आरती. (2024). ग्राम पंचायतों में महिला नेतृत्व और सामाजिक परिवर्तन. *ग्रामीण विकास समीक्षा*, 9(1), 41–49.
8. पाण्डेय, शालिनी. (2023). पंचायत चुनावों में महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता का अध्ययन. *भारतीय समाजशास्त्र पत्रिका*, 18(2), 75–86.
9. गुप्ता, नेहा, एवं यादव, सुनीता. (2025). ग्रामीण शासन में महिला प्रतिनिधियों की निर्णय क्षमता का समाजशास्त्रीय विश्लेषण. *लोक प्रशासन एवं विकास जर्नल*, 6(4), 91–102.
10. कुमारी, अंजलि. (2024). पंचायती राज संस्थाओं में महिला आरक्षण का प्रभाव. *महिला अध्ययन पत्रिका*, 12(1), 28–39.
11. शुक्ला, दीपा. (2023). ग्रामीण महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण और पंचायत व्यवस्था. *भारतीय ग्रामीण समाज अध्ययन*, 10(2), 50–61.
12. राठौर, प्रीति, एवं सिंह, अलका. (2025). पंचायतों में महिलाओं की नेतृत्व क्षमता एवं सामाजिक बाधाएँ. *समकालीन सामाजिक विज्ञान शोध पत्रिका*, 15(1), 103–114.
13. चौहान, मीनाक्षी. (2024). पंचायती राज व्यवस्था में महिला प्रतिनिधियों की प्रशासनिक भूमिका. *लोकनीति एवं समाज अध्ययन*, 7(2), 65–74.
14. तिवारी, ममता. (2023). महिला सशक्तिकरण और पंचायती राज: एक तुलनात्मक अध्ययन. *भारतीय महिला अध्ययन जर्नल*, 11(3), 84–95.
15. यादव, सुजाता. (2025). पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी और ग्रामीण विकास. *ग्रामीण परिवर्तन शोध पत्रिका*, 8(1), 37–48.
16. सिंह, ज्योति. (2024). पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की सामाजिक स्थिति का विश्लेषण. *सामाजिक अनुसंधान वार्षिकी*, 13(2), 57–69.
17. पाल, रश्मि. (2023). पंचायत नेतृत्व में महिलाओं के समक्ष सामाजिक एवं सांस्कृतिक चुनौतियाँ. *भारतीय सामाजिक चिंतन पत्रिका*, 9(4), 118–126.
18. अवस्थी, कविता. (2025). स्थानीय स्वशासन में महिलाओं की भूमिका और राजनीतिक जागरूकता. *लोक प्रशासन शोध जर्नल*, 16(1), 73–85.